

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक
01/2012

विक्रम संवत्
2068

4(शु0) माघ 1933 (शा0)
जमशेदपुर, शुक्रवार, 27/01/12

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिसूचना।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना।

01-18

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिसूचना

संख्या -36

दिनांक -11.1.2012

चूंकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- **दरखुली-11** परगना , थाना-घाटशिला, थाना नं0- **247**, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 एल0-50 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्ववत् ग्राम- **दरखुली-11** थाना नं0-**247** के भीतर भूमि का 1 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 1.26 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-109

चौहद्दी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-43

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-109

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-112 एवं 113

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-109

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यवित्यों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नवशा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना,